DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, JULY 30, 2022
TIMES CITY

HC nod to Dwarka drain on tree transplanting promise

Abhinav.Garg@timesgroup.com

New Delhi: Tree felling in the capital for public projects can only be allowed as long as agencies ensure that trees are transplanted, Delhi High Court said on Friday.

Justice Najmi Waziri allowed the plea of Delhi Development Authority (DDA) to go ahead with its plan to construct a storm water drain in Dwarka to check waterlogging at IGI Airport, after it informed the court that more than 600 trees would be transplanted in the same area.

"Our order left no room for interpretation from the deputy conservator of forests," the court observed, setting aside a letter by DCF revoking an earlier permission as it entails felling of trees.

The court faulted the AAP government for interpreting its earlier ban on tree felling as a blanket prohibition and underlined that it had said tree felling could be done only when they could be transplanted.

"Projects can't be held up. Don't understand why it is held up. Our order was 'don't allow cutting till transplantation', and tree officer will go and inspect where the trees are being planted," Justice Waziri pointed out, when DDA urged it to quash the letter.

Appearing for DDA, advocate Prabhsahay Kaur said the project, costing Rs 88.6 crore, required permission from the DCF, West forest division, of the Delhi government for the transplantation of 637 trees and felling of 56.

JUDGE SAYS

Don't understand why it (the project) is held up. Our order was 'don't allow cutting till transplantation', and tree officer will go and inspect where the trees are being planted

DDA said that as per the DCF's June 29 correspondence, the permission would only be granted after further orders of the high court in a contempt case in which permission for felling of trees had been restricted on April 28.

DDA informed the court that permission was earlier granted for transplantation and felling, while mandating compensatory plantation of 6,930 trees by it. All arrangements were made for transplantation, 6,930 saplings of the specific varieties were arranged and Rs 3.95 crore was deposited, as directed by the DCF, it added.

In its April order, the court had noted that in public interest and for the sake of environment for the present and future generations, "tree-felling in Delhi is not permitted till the next date, so as to ensure that felling is done only when it is fully ensured by the applicant that the trees would at least be transplanted".

Hindustan Times
NEW DELHI
MONDAY
AUGUST 01, 2022

Delhi agencies struggling to procure sandalwood saplings after LG order

Paras Singh and Jasjeev Gandhiok
paras@hindustantimes.com

NEW DELHI: Delhi's greening and land-owning agencies are struggling to procure saplings of sandalwood trees after the Delhi Lieutenant Governor (LG) VK Saxena asked them earlier this month to plant 10,000 such trees across the Capital during the monsoon.

Municipal Corporation of Delhi (MCD), Delhi Development Authority (DDA), Delhi Parks and Gardens Society (DPGS), New Delhi Municipal Council (NDMC) and the forest department are some of the agencies who had to implement the order. However, MCD has said that it does not have funds to procure saplings of the tree, since it is fairly costly and other agencies such as DDA, DPGS or the forest department are yet to identify states from where they will source the saplings of the tree.

Only the NDMC has so far floated a tender for procuring 1,000 sandalwood saplings, both of the white and red varieties, but officials aware of the matter said the agency may not get saplings for at least two months.

S Chellaiah, director (horticulture), of NDM said they have initiated the process of procurement, and identified locations such as Lodhi Garden, Sanjay Jheel, Talkatora garden and Nehru Park for plantation of the tree.

"We have issued the open tenders for procurement of the saplings as sandalwood is not available is north India. It is native to south India and grows near Telangana and Andhra Pradesh. We will plant 500 saplings each of the white and red varieties. We will have to ensure good care and tweak conditions for red sandalwood trees to grow, but we will manage it," he added.

Chelliah said white sandalwood is used in perfumes, soaps and herbal medicines while the red sandalwood is known for its timber. He added that most of the saplings will be planted in big, well-protected parks to ensure their safety.

The council issued a tender worth ₹3.5 lakh for procurement of "Chandan trees" on July 19.

The horticulture department of the MCD said it was finding it difficult to procure these saplings, and that they will have to seek assistance from the Delhi government to achieve the targets set by the LG.

Pradip Krishen, environmentalist and author, said normally, the sandalwood tree is neither likely to do well in the Yamuna floodplains, nor the rocky terrain of the ridge. "Sandalwood is not known to grow in Delhi, or this side of the country. The tree is also a semi-parasite, meaning it is dependent on neighbouring trees and plants for its nutrients. Even if the tree is planted here, it is unlikely to do well in the city's environment," he said.

A senior DDA official said while they were yet to float a tender to invite bids for supply of sandalwood saplings, they are likely to initiate this process soon. "No trees have been procured yet but we will soon finalize the state from where these trees will be bought. We are looking at Sanjay Van as one of the possible locations where these trees could be planted."

While the forest and wildlife department did not disclose whether it had begun procuring any trees yet, a forest official said the tree is unlikely to do well in the Aravalli landscape. "It is likely to do well in a location where soil depth is adequate and there is are already shrubs and trees around it," the official added.

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2022

डीडीए को मिली पेड़ों के प्रत्यारोपण की अनुमति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: आइजीआइ एयरपोर्ट से पानी निकासी के लिए द्वारका सेक्टर-8 में नाला निर्माण को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को पेड़ों के प्रत्यारोपण की अनुमति देने पर रोक लगाने वाले उप वन संरक्षक के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दिया। न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ ने डीडीए द्वारा 637 पेड़ों के प्रत्यारोपण और 56 अन्य की कटाई की अनुमति की मांग को स्वीकार करते हुए उप वन संरक्षक को निगरानी करने के लिए कहा है।

डीडीए की अधिवक्ता ने कहा कि उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने उप वन संरक्षक के 29 जून के आदेश को रद कर दिया है। डीडीए को पेड़ों की कटाई और प्रत्यारोपण से रोक दिया गया था। डीडीए की तरफ से अधिवक्ता प्रभसहाय कौर ने कहा कि उप वन संरक्षक ने पहले अनुमति दी थी, लेकिन 29 जून को इसे स्थगित कर दिया। इसके कारण सार्वजनिक परियोजना की प्रगति अनिश्चित काल के लिए रुक गई है। प्रत्यारोपण के लिए सभी प्रबंध किए हैं और विशिष्ट किस्मों के 6930 पौधे लगाने की व्यवस्था की गई है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 30 जुलाई 2022 ----------

महंगे मिलेंगे रामलीला ग्राउंड, कमिटियां परेशान

डीडीए की तरफ से ग्राउंड अलॉटमेंट के लिए 77 रुपये/ मीटर के हिसाब से फीस की मांग

Sudama.Yadav@timesgroup.com

■ नई दिल्ली : करोना संक्रमण की स्थिति बेहतर होने के बाद दिल्लीवाले इस साल रामलीला आयोजन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन, ग्राउंड अलॉटमेंट के जो हालात हैं, उससे उनकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। डीडीए ने ग्राउंड अलॉटमेंट फीस इतनी महंगी कर दी है कि रामलीला आयोजन कमिटियों के बूते से बाहर हो रहा है। इतना ही नहीं, डीडीए ने ग्राउंड अलॉटमेंट की अन्य कई शर्तें रखी हैं, जिसे पूरा करना रामलीला कमिटियों के लिए मुश्किल हो गया है।

श्रीरामलीला महासंघ के अध्यक्ष अर्जुन कुमार के अनुसार 2008 में दिल्ली सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी कि ग्राउंड अलॉटमेंट के पैसे नहीं लिए जाएंगे। लेकिन, चार-पांच साल बाद एक नई पॉलिसी बनाई गई, जिसमें पूरे ग्राउंड के 75 प्रतिशत हिस्से में रामलीला आयोजन और 25 प्रतिशत हिस्से में झूले, चाट-पकवान की दुकानें लगाने की छूट दी गई। जिस 25 प्रतिशत हिस्से में झूले या चाट-पकवान की दुकानें लगाने की छूट दी गई थी, डीडीए ने उसके लिए कमर्शल रेट से फीस वसूलने की पॉलिसी बनाई। अभी तक यही पॉलिसी लागू थी। दो-तीन साल तक कोरोना संक्रमण की वजह से दिल्ली में रामलीलाओं का आयोजन नहीं हो पाया। इस साल स्थिति बेहतर होने के बाद दिल्ली की 650 से अधिक रामलीला कमिटियां एक बार फिर रामलीला आयोजन की तैयारियां कर रही है। लेकिन, डीडीए ने पॉलिसी में फिर फेरबदल कर नई पॉलिसी लागू कर दी है, जिससे कमिटयों को ग्राउंड अलॉटमेंट में दिक्कतें हो रही हैं।

650 से अधिक कमिटियां एक बार फिर रामलीला कराने की तैयारियां कर रही हैं

अर्जुन कुमार का कहना है कि डीडीए ग्राउंड को रामलीला आयोजन के लिए बुकिंग कराना नई पॉलिसी के तहत बेहद मुश्किल है। अगर कोई डीडीए ग्राउंड की बुकिंग कराता है, तो वह ग्राउंड में खाना नहीं बना सकता। अगर खाना बनाना है, तो उसे कचरे के निस्तारण के लिए ईटीपी लगाना होगा। अब एक ईटीपी प्लांट लगाने में ही करोड़ों रुपये खर्च आएंगे। ऐसे में कोई कमिटी ईटीपी प्लांट क्यों लगाएगी। ईटीपी प्लांट न लगाने पर डीडीए ने 10 लाख रुपये सिक्योरिटी मनी की मांग की है, जो रिफंड भी नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, ग्राउंड के जिस 75 प्रतिशत हिस्से में रामलीला आयोजन होता था, उसकी बुकिंग फ्री थी। लेकिन, अब डीडीए उसके लिए बुकिंग फीस 77 रुपये/ मीटर के हिसाब से मांग रहा है। इस हिसाब से एक एकड़ के लिए ही लोगों को ग्राउंड बुकिंग का 4-5 लाख रुपये देना पड़ेगा।

नवश्री धार्मिक लीला कमिटी के मंत्री प्रकाश बराठी के अनुसार, डीडीए के जिस पार्क में रामलीला का आयोजन होगा, उसमें कलाकर भी होंगे। देर रात तक रामलीला में अभिनय करने के बाद 12 बजे वह फ्री होते हैं। ऐसे में वह खाना भी खाएंगे। यहां आने वाले अगंतुओं को भी नाश्ता या खाना परोसा जाएगा।

ऐसे में यह कैसे संभव है कि बाहर खाना बनाया जाए या होटलों से खाना मंगाया जाए। ग्राउंड बुकिंग फीस बढ़ाने और सिक्योरिटी मनी को लेकर रामलीला महासंघ ने 7 अगस्त को रामलीला कमिटियों की मीटिंग बुलाई है।

घरों में आ रहा है सीवर का पानी

■ एनबीटी न्यूज, जसोला : पिछले 1 हफ्ते से भी अधिक समय से पॉकिट 11 के सी-ब्लॉक के घरों में पीने के पानी के साथ सीवर का पानी मिलकर आ रहा है। जसोला डीडीए फ्लैट कॉलोनी करीब 19 साल पहले बसी थी। 2019 से पहले तक कॉलोनी डीडीए के आधीन थी। उस समय पानी की सप्लाई के लिए हर पॉकिट में 3 से 4 बोरवेल पंप लगाए गए थे। टैंकरों से मिलने वाला पानी भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है। एनबीटी सुरक्षा कवच से जुड़े रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि आरओ के जरिए बोरवेल का पानी शुद्ध करके इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सीवर के पानी से मिलकर पानी आ रहा है। आरडब्ल्यूए के प्रेजिडेंट संजीव कौशिक ने बताया कि इस संबंध में एजेंसी को शिकायत दर्ज कराई गई है।

NBT सुरक्षा कवच
मिलकर बनाएं दिल्ली को ज्यादा सेफ

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2022

लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर अव्यवस्था

अप्रैल में दर्ज कराई थी खराब स्ट्रीट लाइटों की शिकायत, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को जानकारी नहीं

रजनीश पाण्डेय • दक्षिणी दिल्ली

चिराग दिल्ली से एमबी रोड की ओर जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री मार्ग (पुराना बीआरटी रोड) पर अव्यवस्था है। यहां फुटपाथ पर अवैध पार्किंग और गंदगी, बस स्टाप पर बैठने की व्यवस्था न होने, खराब स्ट्रीट लाइट, फुटओवर ब्रिज पर नशेड़ियों के खौफ आदि कई समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी और सिविक एजेंसियां मामले को संज्ञान में नहीं ले रही हैं। स्थानीय लोग इस मामले में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से लेकर एलजी तक को पत्र लिखकर शिकायत कर चुके हैं।

लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर मदनगीर गांव से लेकर मदनगीर डीडीए फ्लैट्स होते हुए खानपुर तक गंदगी और अवैध पार्किंग की समस्या से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मदनगीर डीडीए फ्लैट्स से लेकर खानपुर तक मौजूद फुटपाथ कार स्वामियों के लिए पार्किंग का मुख्य स्थान बन गए हैं। सड़क के दोनों ओर अनगिनत कारें खड़ी दिखाई देती हैं। जो फुटपाथ खाली हैं, वे कई जगह टूटे व उखड़े हैं। इससे पैदल चलने वालों को अक्सर चोट भी लग जाती है। लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर मिलने वाली एनबीसीसी प्लाजा रोड तो मुख्य तिराहे पर ही उखड़ी हुई है, जिससे अक्सर बाइक सवार वहां फंसकर गिर जाते हैं। वहीं, मदनगीर डीडीए फ्लैट्स के पास बने साइकिल ट्रैक पर बाइक सवार अक्सर तेजी से बाइक दौड़ाते मिल जाते हैं।

लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर फुटपाथ व साइकिल ट्रैक पर खड़े वाहन • जागरण

> मैंने कई बार पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों को पत्र लिखकर शिकायत की है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अप्रैल 2022 में मैंने खराब स्ट्रीट लाइटों की शिकायत पीडब्ल्यूडी में दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। मैं सुबह बेसहारा कुत्तों को खाना देने के लिए जल्दी घर से निकल जाती हूं। स्ट्रीट लाइटें खराब होने से अंधेरा रहता है और कई बार चोट भी लग जाती है। -चंद्रा गोदवानी

> खराब स्ट्रीट लाइटों के बारे में शिकायत की जानकारी नहीं है। शिकायत मिलने पर लाइटों को सही करा दिया जाएगा।
> **वाइपी शाह,** एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), पीडब्ल्यूडी

पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी के अनुसार, कांस्ट्रक्शन के मलबे को साफ करने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग की है, लेकिन अन्य कूड़े-कचरे की सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम की है। टूटे फुटपाथ व अन्य की मरम्मत का काम लगातार चलता रहता है। कहीं जल्दी तो कहीं थोड़ी देर हो जाती है। अवैध पार्किंग को हटाने के लिए नगर निगम, पुलिस व पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की संयुक्त टीम मिलकर काम करती है।

कई माह से खराब हैं स्ट्रीट लाइटें

मदनगीर डीडीए फ्लैट्स के पास लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर लगी सारी स्ट्रीट लाइटें कई माह से खराब हैं। इससे रात में यहां गहरा अंधेरा रहता है। सुबह जल्दी मार्निंग वाक पर निकले लोगों को अंधेरे की वजह से कई बार चोट भी लग जाती है, क्योंकि साइकिल ट्रैक और फुटपाथ पर जगह-जगह तार और सरिये निकले हुए हैं और कई जगह पर ये टूटे भी हुए हैं। अंधेरे की वजह से अक्सर लोग इन्हें देख नहीं पाते और चोटिल हो जाते हैं। डीडीए फ्लैट्स स्थित फुट ओवरब्रिज की हालत काफी जर्जर है और अंधेरी रात में यह नशेड़ियों का अड्डा भी बन जाता है। इससे सड़क पार करने के लिए लोग गुजरते तेज वाहनों के बीच से होकर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और सड़क पार करने में भी लोगों की जान का खतरा बना रहता है।

बस स्टाप पर बेंच तक नहीं : मदनगीर डीडीए फ्लैट्स बस स्टाप पर बैठने के लिए बेंच तक नहीं है। यहां बस स्टाप के पास लगी टाइलें भी उखड़ी हुई हैं। इससे खड़े-खड़े ही बसों का इंतजार कर रहे लोग अक्सर चोटिल भी हो जाते हैं। मदनगीर गांव से लेकर मदनगीर डीडीए फ्लैट्स के बीच में दो बस स्टाप हैं। दोनों पर ही मदनगीर डीडीए फ्लैट्स का बोर्ड लगा हुआ है। अधिकारियों की लापरवाही से दोनों बस स्टाप पर मदनगीर डीडीए फ्लैट्स के बोर्ड ही लटक रहे हैं।

लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर तिराहे पर मिलने वाली टूटी एनबीसीसी प्लाजा रोड • जागरण

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- IV दैनिक जागरण नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2022

भूमि की कमी ही नहीं, गिरता भूजल स्तर व बिगड़ा मानसून भी पौधारोपण में रुकावट

सप्ताह का साक्षात्कार

वर्ष भर वायु प्रदूषण से जूझती दिल्ली में इन दिनों पौधारोपण और वन संरक्षण सुर्खियों में है। वजह है कि वन विभाग इसके लिए लगातार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से जमीन मांग रहा है, जबकि डीडीए जमीन की कमी का रोना होते हुए सरकार से एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाने की नीति में ही बदलाव की मांग कर रहा है। दोनों के बीच विवाद जारी है और इस बीच पौधारोपण अभियान को एक बड़े पैमाने पर झाड़ियां लगाकर पूरा करने की योजना बनाई गई है। ऐसे में कैसे हरित होगी दिल्ली, कैसे हो पाएगा वन संरक्षण और कैसे निपटा जाएगा अन्य चुनौतियों से, इन सवालों को लेकर **संजीव गुप्ता** ने दिल्ली सरकार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक **सीडी सिह** से बातचीत की। प्रस्तुत हैं मुख्य अंश :

• राजधानी में वन क्षेत्र को संरक्षित रखने में क्या चुनौतियां हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है?

- इस दिशा में एक नहीं, बल्कि कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो पौधारोपण के लिए जगह की कमी है। इसके अलावा गिरता भू-जल स्तर और घटता-बढ़ता मानसून भी ऐसी समस्याएं हैं, जिनसे निपट पाना बहुत मुश्किल है।

• गुरुग्राम-फरीदाबाद के कुछ हिस्से अरावली वन क्षेत्र में लेपर्ड कारिडोर बनाए जाने की योजना है, दिल्ली में वन्य जीवों के लिए अच्छा आवास उपलब्ध कराने के लिए क्या वन विभाग कोई योजना बनाएगा?

- हमने असोला वन अभ्यारण्य क्षेत्र में बंदरों के लिए आवास की व्यवस्था की है। दरअसल, वन्य जीवों को ऐसी जगह चाहिए होती है, जहां पर्याप्त जगह, भोजन व पानी और सुरक्षा मुहैया कराना संभव हो। इसके लिए हम वनस्पति शास्त्री प्रो. सी आर बाबू के नेतृत्व में ऐसा वन क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया पर भी काम रहे हैं।

• दिल्ली के मौजूदा वन क्षेत्र में अतिक्रमण होने और लोगों की आवाजाही अधिक होने के कारण ये वन्य जीवों के लिए अनुकूल नहीं रह जाता, इस स्थिति में सुधार करने की क्या योजना है?

- हमें वन क्षेत्र की चारदीवारी करने के लिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है। जल्द ही इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। ईको टास्क फोर्स भी बन गई है। 200 से अधिक गार्ड वन विभाग को मिल गए हैं, जबकि 165 सुरक्षा गार्ड रखे जाने की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीद है कि इस सबसे स्थिति में अवश्य सुधार होगा।

• विकास परियोजनाओं में एक पेड़ काटने के बदले 10 पौधे लगाने का प्रविधान है, लेकिन डीडीए का कहना है कि उसके पास भूमि नहीं है, वन विभाग इस चुनौती से कैसे निपटेगा?

- हमने इस मुद्दे पर दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक पत्र लिखा था, जिसमें केंद्र सरकार की ही एजेंसियों के दो पूर्व सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए यमुना किनारे 5500 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध होने के बारे में बताया, लेकिन डीडीए ने जवाब में केंद्र की एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वे को भी नकार दिया। अब अगर डीडीए केंद्र सरकार की एजेंसियों के सर्वे को भी स्वीकार नहीं कर रहा, तो फिर क्या कहा जा सकता है! सच तो यह है कि दिल्ली में अब भी पौधारोपण के लिए काफी खाली जमीन उपलब्ध है। फिर भी डीडीए के इस रूख पर वन एवं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से सलाह मशविरा करने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा।

• वन विभाग यदि दिल्ली से बाहर पौधे लगवाता है, तो उसका लाभ दिल्ली को नहीं मिलेगा, क्योंकि कान्सेप्ट ही यही है कि जहां से पेड़ काटे जाएं, वहां हरियाली को संतुलित करने के लिए 10 पौधे लगाए जाएं। इस समस्या का हल कैसे निकलेगा?

- दिल्ली को धूल प्रदूषण से बचाने के लिए बाहर पौधे लगाने भी बहुत जरूरी है। वजह, राजधानी में राजस्थान तक की धूल आ रही है। ऐसे में जितने ज्यादा पौधे होंगे, उतना ही धूल प्रदूषण से बचाव संभव हो पाएगा।

• केंद्र सरकार की योजना शहरी क्षेत्र में सिटी फारेस्ट विकसित करने की है, दिल्ली इसमें कैसे योगदान देगी। दिल्ली में कितने सिटी फारेस्ट विकसित किए जाएंगे, क्या इनके लिए स्थान का चयन हो गया है?

- दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने और शहर के आक्सीजन स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार ने 17 सिटी फारेस्ट विकसित करने की योजना बनाई है।

ये फारेस्ट दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में करीब तीन हजार एकड़ भूमि पर विकसित होंगे। प्रारंभिक फेज में दिल्ली के चारों कोनों में मौजूद मुख्य चार सिटी फारेस्ट को पहले विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इनमें दक्षिण पश्चिम दिल्ली का मित्राऊं सिटी फारेस्ट, उत्तरी दिल्ली का अलीपुर सिटी फारेस्ट, पूर्वी दिल्ली का गढ़ी मांडू सिटी फारेस्ट और दक्षिण दिल्ली का जौनापुर सिटी फारेस्ट शामिल है। ये चारों सिटी फारेस्ट दिल्ली के करीब 286 एकड़ में फैले हैं। इस परियोजना के तहत मित्राऊं सिटी फारेस्ट के पाकेट ए और बी का 98 एकड़, अलीपुर सिटी फारेस्ट का 48 एकड़, गढ़ी मांडू सिटी फारेस्ट का 42 एकड़ और जौनापुर सिटी फारेस्ट को 98 एकड़ में विकसित किया जाएगा।

एयरपोर्ट के लिए जरूरी नाला निर्माण के लिए ली जाएगी मंजूरी

जासं, नई दिल्ली : आइजीआइ एयरपोर्ट को जलभराव की समस्या से स्थायी रूप से निजात दिलाने के लिए प्रस्तावित नाले का निर्माण जल्द शुरू हो, इसके लिए डीडीए अब वन विभाग को पत्र लिखने की तैयारी में है। नाला निर्माण के रास्ते में आ रहे 637 पेड़ों के ट्रांसप्लांट की अनुमति कोर्ट से मिल चुकी है तो अब डीडीए निर्माण के लिए जरुरी अन्य अनुमति के लिए संबंधित विभागों को पत्र लिखने में जुटा है। डीडीए के अभियंताओं ने उन स्थानों का दौरा किया, जहां से नाला गुजरेगा। डीडीए अभियंता ने बताया कि नाला निर्माण के लिए अब सबसे जरूरी कार्य परियोजना को शुरू करने के लिए यातायात विभाग से अनुमति लेनी है। नाला निर्माण के लिए शुरुआत में 10 मीटर के ही हिस्से की खोदाई होगी, शेष 10 मीटर का हिस्सा यातायात के लिए उपलब्ध रहेगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 1 अगस्त 2022

उमस ने सताया फिर भी 'ठंडी' रही जुलाई

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

जुलाई के शुरुआती 15 दिनों में बारिश की कमी से उमस भरी गर्मी ने लोगों का दम निकाला। दूसरे पखवाड़े में टुकड़ों में हुई बारिश ने तापमान को कम किया। इसी वजह से यह जुलाई 6 साल की सबसे ठंडी जुलाई साबित हुई। जुलाई में बारिश भी सामान्य से 37 प्रतिशत अधिक हुई है। पूरे मॉनसून सीजन में (एक जून से अब तक) अब तक 10 प्रतिशत बारिश अधिक हुई है।

रविवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहा। यह सामान्य से एक डिग्री कम था। न्यूनतम तामपान 24.6 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3 डिग्री कम रहा। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई। सफदरजंग में 0.9 एमएम, पालम में बूंदाबांदी, लोदी रोड में 2.5 एमएम, रिज में 3.1 एमएम, जाफरपुर में एक एमएम और सीडब्ल्यूजी स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स में 2 एमएम बारिश हुई। अब सोमवार को बादल छाए रहेंगे। बारिश हल्की होगी। अधिकतम तामपान 32 और न्यूनतम तामपान 25 डिग्री हो सकती है। अगस्त के शुरुआती हफ्ते में हल्की बारिश रहने की ही संभावना है। इस दौरान महज 4 अगस्त को मध्यम बारिश की संभावना है। 5 अगस्त से तापमान बढ़ने लगेंगे। यह 34 से 35 डिग्री तक पहुंच सकते हैं।

जुलाई में सामान्य बारिश

जुलाई में दिल्ली (सफदरजंग) में 286.3 एमएम बारिश हुई है। इस महीने की सामान्य बारिश 209.7 एमएम है। जुलाई में बारिश 37 प्रतिशत अधिक हुई। पालम में सामान्य से दो प्रतिशत अधिक 210.2 एमएम बारिश अधिक हुई है। लोदी रोड में भी सामान्य से 31 प्रतिशत अधिक 274.6 एमएम बारिश अधिक हुई है। एक जून से अब तक तो सफदरजंग में 310.8 एमएम बारिश हुई है।

ऊंची इमारतों पर लगेंगी घूमने वाली एंटी स्मॉग गन

■ विस, नई दिल्ली : सर्दियों से पहले ही राजधानी में प्रदूषण से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में शनिवार को एलजी वी. के. सक्सेना ने कई विभागों के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की। उन्होंने 7 तरीकों से प्रदूषण पर लगाम लगाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि वह सीएक्यूएम के किए गए GRAP के बदलावों को अमल में लाने की तैयारियां कर लें। मीटिंग में कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) के चेयरमैन एमएम कुट्टी, एसीएस (एनवायरमेंट) के चीफ सेक्रेटरी, एनडीएमसी के चेयरमैन, एमसीडी के स्पेशल ऑफिसर, डीडीए के वाइस चेयरमैन, पीडब्ल्यूडी और परिवहन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ट्रैफिक के स्पेशल कमिश्नर और एमसीडी कमिश्नर आदि मौजूद रहे।

खुद संभाली सफाई की कमान

■ एनबीटी न्यूज, जसोला

आजादी का महोत्सव मनाने की तैयारियों में जुटे पॉकेट-11 के लोग गंदगी की समस्या से लंबे समय से परेशान हैं। ऐसे में उन्होंने सफाई की कमान खुद संभाल ली है। आरडब्ल्यूए के महासचिव देवकांत ने बताया कि पॉकेट-11 में 2608 फ्लैट हैं। कॉलोनी की नियमित सफाई नहीं होती है। बाहर की सड़क और फुटपाथ की सफाई डीडीए के पास है। कॉलोनी के अंदर एमसीडी ठेके पर सफाई कराती हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी शुरू करने से पहले लोगों ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की ठानी है। अभी लगभग 9 फुट चौड़े फुटपाथ की सफाई आरडब्ल्यूए और 'कुटुंब' संगठन ने मिलकर की है। उन्होंने बताया कि इसके बाद कॉलोनी के अंदर सड़क और गलियों की सफाई यहां के लोग खुद करेंगे।

Hindustan Times
NEW DELHI
SUNDAY
JULY 31, 2022

TAKE MEASURES TO CURB DUST POLLUTION, LG TELLS AGENCIES

HT Correspondent
htreporters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Lieutenant governor (LG) Vinai Kumar Saxena on Saturday held a meeting with the chairperson of Commission for Air Quality Management (CAQM) and Delhi government officials from the transport, environment departments, and MCD and DDA to take stock of the measures being undertaken to control air pollution in the Capital, according to officials in the LG office.

The LG also suggested various measures that agencies could take to supplement the current measures against pollution, the officials said.

Saxena asked officers to focus on pollution by vehicular emissions, road dust, construction and demolition debris, and burning of solid municipal and agro waste and industrial emissions. Saxena also said that it was crucial to implement mass plantations across the city, the officials said.

On sanitation and dust control, the LG has asked agencies to use mechanical sweeping machines. The environment department has been asked to allocate funds for the same. He also said that it was important to undertake regular comprehensive sweeping to discard dust from public places.

Delhi was ranked the most polluted Capital city globally for the fourth consecutive year by the IQAir World Air Quality Report 2021, released in March. According to the report, the annual average PM2.5 levels in the city rose by almost 15% in 2021 compared to 2020.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

www.delhi.nbt.in । नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 1 अगस्त 2022

दिल्ली : महानगर : महाकवरेज

मोहन गार्डन। अर्जुन नगर। छतरपुर। शिवालिक। घोंडा। गुरू नानक नगर। मीरा बाग। खेल गांव। गौतम नगर। पुष्प विहार। नांगलोई। बादली। रमेश पार्क। दरियागंज। सुभाष नगर। दल्लूपुरा। देवली

प्लॉट के लिए 30 साल किया परेशान, DDA पर जुर्माना

HC ने कहा, डीडीए का गैर जिम्मेदाराना और अव्यावसायिक रवैया माफी के लायक नहीं

Prachi.Yadav@timesgroup.com

■ **नई दिल्ली :** दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि अथॉरिटी ने एक गरीब महिला को 30 सालों से भी अधिक वक्त से परेशान करके रखा है। महिला को 4 हफ्तों के भीतर प्लॉट आवंटन से जुड़ी सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डीडीए की अपील खारिज कर दी।

चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि डीडीए का बेहद गैर जिम्मेदाराना और अव्यावसायिक रवैया घृणा या माफ करने लायक भी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा केस के तथ्य केवल डीडीए के हाथों एक गरीब महिला के उत्पीड़न को प्रदर्शित करते हैं,

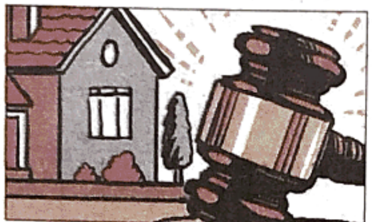

क्यों? यह तो संबंधित अधिकारियों को ही सबसे अच्छी तरह से पता होगा। अपनी सिंगल बेंच के फैसले के साथ खड़े होते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि 30 सालों से भी अधिक वक्त तक महिला को परेशान करने और फर्जी याचिका के जरिए अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने के लिए डीडीए पर 50 हजार रुपये कस जुर्माना लगाया जाता है। कोर्ट ने शैल शुक्ला नाम की महिला की याचिका मंजूर कर ली थी और डीडीए को उन्हें रोहिणी के सेक्टर-2 में 60 मीटर का प्लॉट देने का निर्देश दिया था।

DDA की अपील खारिज

- कोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी ने एक गरीब महिला को 30 साल से भी अधिक वक्त तक परेशान किया
- महिला को 4 हफ्तों के भीतर प्लॉट आवंटन से जुड़ी सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ डीडीए की अपील खारिज कर दी

क्या है मामला : डीडीए रोहिणी रेजिडेंशियल स्कीम, 1981 के तहत एक योजना लेकर आया था, जिसमें महिला ने 60 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए आवेदन किया था। 10 साल बाद महिला के नाम पर अथॉरिटी ने अलॉटमेंट लेटर जारी किया। आरोप है कि सारे दस्तावेज और मांगी गई रकम लेने के बाद भी डीडीए ने न तो उन्हें प्लॉट दिया और न उनके पैसे लौटाए। 2021 में जब डीडीए ने प्लॉट के लिए महिला के आवेदन का ठुकरा दिया, तब महिला ने केस दायर किया। फैसला महिला के पक्ष में हुआ, जिसे डीडीए ने मौजूदा अपील के जरिए दो जजों की बेंच के सामने चुनौती दी। मौजूदा बेंच को डीडीए के इस दावे से जुड़ा कोई साक्ष्य नजर नहीं आया कि उसने महिला को हुडको स्कीम के तहत प्लॉट अलॉटमेंट से जुड़े दस्तावेज पेश करने के लिए कभी कोई नोटिस भेजा था।

करीब 6 साल से इलाके में नहीं बनी हैं सड़कें और गलियां

गंदगी और जलभराव से खिड़की गांव की डीडीए कॉलोनी के लोग परेशान

■ राम त्रिपाठी, चिराग दिल्ली

खिड़की गांव की डीडीए कॉलोनी के लोग गंदगी और जलभराव से परेशान हैं। 1986 में लीज पर अलॉट हुए 488 फ्लैटों की इस कॉलोनी के सीवर और नालियां गंदगी से जाम पड़े हुए हैं। डीडीए ने यह कॉलोनी एमसीडी को सौंप दी थी। सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी की है। गंदे पानी की निकासी नहीं होने के कारण घरों के आगे बरसात का पानी भरा हुआ है। करीब 6 साल से सड़क और गलियों का निर्माण नहीं हुआ है। गलियों में बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। बरसात का पानी उन गड्ढों में भी भर जाता है।

लोगों का आरोप है कि सफाई नहीं होने से कॉलोनी के सीवर और नालियां गंदगी से जाम पड़े हैं

लोगों ने बताया कि पहली बरसात के बाद पानी की निकासी नहीं हो पाई थी। उसके बाद दूसरी बारिश का पानी भी कॉलोनी में भरा हुआ है। बरसात का पानी बदबू मारने लगा है। इसका रंग भी काला हो गया है। लोगों ने बताया कि कॉलोनी की नियमित रूप से सफाई नहीं होती है। कॉलोनी की सफाई में लगे 2 कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। लंबे समय से बाकी कर्मचारी नियमित तौर पर सफाई करने नहीं आते हैं। कई शिकायतों के बाद वो आते हैं और आधी अधूरी सफाई करके चले जाते हैं। सीवर और नालियों का कचरा नहीं निकाला जाता है। इस कारण नालियों से गंदे पानी की निकासी नहीं हो पाती है। ओवरफ्लो होकर नालियों का गंदा पानी गलियों और सड़कों पर आ गया है। इस संबंध में एमसीडी को लगातार शिकायतें की जाती रही हैं।

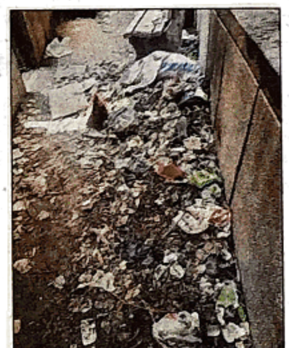

लोगों ने बताया कि कॉलोनी की नियमित रूप से सफाई नहीं होती है

क्या कहते हैं लोग

"चारों तरफ फैली गंदगी हमारी कॉलोनी की पहचान बनती जा रही है। घरों के सामने कूड़ा और गंदा पानी ठहरने से काफी परेशानी होती है। – *सुरेंद्र चौधरी*

"चौतरफा बदबू फैली हुई है। एमसीडी की लापरवाही का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। यहां सफाई व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। – *नवजोत कौर*

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS--- हिन्दुस्तान -------------DATED- नई दिल्ली रविवार 31 जुलाई 2022

दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में पार्किंग को लेकर कई प्रावधान किए जा रहे

तैयारी : सड़कों पर होने वाली पार्किंग तीन गुना महंगी होगी

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली की सड़कों पर होने वाली (ऑन स्ट्रीट) पार्किंग को तीन गुना तक महंगा करने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से नए मास्टरप्लान को लागू करने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के अनुसार, मल्टी-लेवल कार पार्किंग (एमएलसीपी) परियोजनाओं के रखरखाव के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को एमएलसीपी के आसपास ऑनस्ट्रीट पार्किंग को खत्म करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। डीडीए द्वारा पेश किए गए संशोधन के अनुसार, एमएलसीपी सड़क के किनारे कम से कम 500 मीटर तक ऑनस्ट्रीट पार्किंग के लिए जिम्मेदार हैं।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा बीती 12 मई से जारी अधिसूचना के मुताबिक बढ़े हुए पार्किंग शुल्क (एमएलसीपी से कम से कम तीन गुना) और अन्य उपायों के माध्यम से एमएलसीपी के आसपास ऑनस्ट्रीट पार्किंग को खत्म करने के लिए प्रबंधन एजेंसी द्वारा उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए। डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन प्रावधानों को नई एमएलसीपी परियोजनाओं के लिए एजेंसी द्वारा लागू करना होगा। मास्टर प्लान 2041 में कहा गया है कि जहां मल्टीलेवल पार्किंग बनी होगी, उसके आसपास 500 मीटर एरिया को नो पार्किंग जोन घोषित किया जाएगा। अगर ऑनस्ट्रीट पार्किंग बहुत जरूरी हुई तो वो तीन गुना महंगी होगी।

उठा लिया जाएगा वाहन

60 फुट से कम चौड़ी सड़क पर नो पार्किंग जोन में अगर कोई वाहन खड़ा मिलता है तो निगम, एनडीएमसी या छावनी बोर्ड उसे उठा ले जाएगा। अगर सड़क इससे चौड़ी है तो ट्रैफिक पुलिस वाहन ले जाएगी। 90 दिन में वाहन नहीं छुड़ाने और 15 दिन का नोटिस देने पर भी वाहन मालिक के नहीं आने पर, वाहन नीलाम कर दिया जाएगा।

सुरक्षा के लिए सीसीटीवी

दिल्ली में पीक आवर और नॉन पीक ऑवर, कम एवं ज्यादा समय के लिए, वीकडेज,वीकेंड के हिसाब से पार्किंग शुल्क परिवहन मंत्री की अध्यक्षता वाली 16 सदस्यीय अपैक्स कमेटी तय करेगी। शॉर्ट टर्म पार्किंग एक घंटे की होगी। पार्किंग में महिला सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाना होगा और वहां 24 घंटे ऑपरेटर या कर्मी मौजूद रहेगा।

200 रुपये जुर्माना लगेगा पार्किंग से इतर खड़े दोपहिया वाहनों पर। चार पहिया पर 400 और भारी वाहन पर 1500 रुपये जुर्माना।

शटल सर्विस की सुविधा

रिहायशी एरिया के लिए आरडब्ल्यूए से एजेंसियां पार्किंग प्लान मांगेंगी। इलाके से दूर पार्किंग होने पर पार्किंग संचालक शटल सर्विस रखेंगे जिसका किराया पार्किंग फीस में शामिल होगा। रिहायशी इलाके की पार्किंग दूर होने पर लोगों को शटल सर्विस की सुविधा भी मिलेगी।

जुर्माना भी देना पड़ेगा

पार्किंग के इतर अवैध तरीके से खड़े वाहन उठाने का चार्ज दोपहिया वाहनों का 200 रुपये, चार पहिया का 400 रुपये, एलजीवी 1000 रुपये और भारी वाहन का 1500 रुपये होगा। एमसीडी को यह चार्ज उस एजेंसी को देना होगा जिससे वह वाहन टो करवाएगी।

ऊंची इमारतों से छिड़का जाएगा पानी

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए ऊंची इमारतों से पानी की महीन बूंदों का छिड़काव किया जा सकता है। उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों से ऊंची इमारतों पर घूमने वाले मिस्ट स्प्रिंकलर लगाने की संभावना तलाशने को कहा है, ताकि इनके जरिए बड़े इलाके में पानी की महीन बूंदों का स्प्रे किया जा सके।

दिल्ली में बड़े निर्माण और ध्वस्तीकरण स्थल और सड़क से उठने वाली धूल के लिए एंटी स्मोग गन लगाने का प्रावधान है।

इसी दिशा में एक कदम बढ़ते हुए उप राज्यपाल ने कहा कि ऊंची इमारतों पर ऐसे मिस्ट स्प्रिंकलर लगाने की संभावना तलाशी जानी चाहिए, जिसके जरिए बड़े इलाके में छिड़काव किया जा सके।

उपराज्यपाल ने समीक्षा की : उप राज्यपाल ने दिल्ली के तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, मुख्य सचिव दिल्ली, एनडीएमसी प्रमुख, निगम के विशेष अधिकारी, डीडीए उपाध्यक्ष, पीडब्लूडी और परिवहन सचिव, स्पेशल सीपी (यातायात) व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उप राज्यपाल ने दिल्ली में प्रदूषण के तमाम कारकों और उनके रोकथाम को लेकर उठाए गए कदमों की समीक्षा की।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com

NAME OF NEWSPAPERS---- सोमवार, 1 अगस्त 2022 ------------DATED------------------------

दस साल बाद ऑन स्ट्रीट पार्किंग की दरें बढ़ाने की तैयारी में डीडीए

मास्टर प्लान में प्रावधान, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने की थी सिफारिश

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। राजधानी की सड़कों पर वाहनों का भार कम करने की दिशा में करीब एक दशक बाद फिर सड़कों पर होने वाली (ऑन स्ट्रीट) पार्किंग की दरें बढ़ाने की तैयारी है। इस बार डीडीए ने मास्टर प्लान के माध्यम से पार्किंग की दरें बढ़ाने की कवायद शुरू की है। इस संबंध में वह मास्टर प्लान में प्रावधान कर रही है, जबकि एक दशक पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित विशेष कार्यदल व पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने पार्किंग दरों में भारी बढ़ोतरी करने की सिफारिश की थी, लेकिन स्थानीय निकायों ने यह सिफारिश नहीं मानी थी।

सूत्रों के अनुसार डीडीए ने मास्टर प्लान 2041 में एनडीएमसी, एमसीडी और अन्य विभागों की मल्टीलेवल कार पार्किंग परियोजनाओं को कामयाब करने की दिशा में प्रावधान करने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में इन पार्किंग के आसपास ऑन स्ट्रीट पार्किंग को खत्म करने की निर्णय लिया जा रहा है। दरअसल मल्टीलेवल कार पार्किंग में कार खड़ी करने एवं बाहर निकालने में समय लगता है इसके कारण लोग अपनी कार पार्किंग में खड़ी करने के बजाए ऑन स्ट्रीट पार्किंग की प्राथमिकता देते है। डीडीए ने केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय से ऑन स्ट्रीट पार्किंग की दरें मल्टीलेवल कार पार्किंग से तीन गुना अधिक तय की है। इसके अलावा वह मास्टर प्लान-2041 में मल्टीलेवल पार्किंग के चारों ओर 500 मीटर के दायरे में ऑन स्ट्रीट पार्किंग की व्यवस्था खत्म करने का प्रावधान कर रही है। इसके अलावा पार्किंग दूर होने पर शटल सर्विस की व्यवस्था करने की भी योजना है। दूसरी ओर अतिव्यस्त समय और गैरव्यस्त समय के लिए के साथ-साथ सप्ताहांत के अनुसार पार्किंग दरें तय की जाएगी।

सड़क पर वाहनों का भार कम करने व मल्टीलेवल कार पार्किंग योजना को कामयाब करने की कवायद

पहले की पार्किंग दरें

- कार/जीप/एसयूवीः 30 मिनट तक 10 रुपये, 30 मिनट से एक घंटे तक, 20 रुपये, एक से तीन घंटे तक 50 रुपये व तीन घंटे के बाद प्रत्येक एक घंटे पर 20 रुपये।
- स्कूटर, मोटर साईकिल की दरें हर श्रेणी में कार/जीप/एस.यू.वी. से आधी और बस/ट्रक/टेम्पो/ऑटो रिक्शा की दरें दोगुना।
- सायं पांच से नौ बजे तक चार पहिया व उससे अधिक पहियों के वाहनों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क।

आनंद विहारस्टेशन पर ऑटो-टैक्सी वालों का धरना

नई दिल्ली। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर ऑटो-टैक्सी स्टैंड को हटाने का विरोध रविवार को किया। टैक्सी चालकों का आरोप है कि रेल प्रशासन स्टैंड को खाली करा कर निजी ठेकेदार को सौंप रहा है। जबकि 2009 से रेलवे स्टेशन निर्माण के साथ ही स्टैंड चलता आ रहा है। इसे लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तिपहिया चालक यूनियन ने दिल्ली रेल मंडल प्रबंधक को शिकायत ज्ञापन भी सौंपा है। तिपहिया चालक यूनियन के प्रधान ललित कुमार का कहना है कि अचानक से रेलवे की तरफ से तुगलकी फरमान सुनाया गया कि 31 जुलाई से सभी टैक्सी व ऑटो को शांतिपूर्वक हटा लिया जाए। अगर नहीं हटे तो प्रशासन की मदद से रेल परिसर से हटाया जाएगा। ब्यूरो

पंजाब केसरी
30 जुलाई, 2022 शनिवार

विधायक ने किया गांधीनगर का दौरा

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : विधायक अनिल बाजपेयी ने डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, गांधीनगर के (बुलंद मस्जिद गवर्नमेंट सीनियर सेकंडरी स्कूल, समुदाय भवन के पास डीडीए के मैदान,शास्त्री पार्क ए ब्लॉक में डीडीए की खाली पड़ी जमीन,महाराणा प्रताप पार्क कांतिनगर,शांति मोहल्ला की गली नंबर 3 और 4 के छोटे डीडीए के पार्क का दौरा किया।। इस दौरे के दौरान विधायक ने कहा कि बुलंद मस्जिद मे डीडीए की खाली पड़ी जमीन पर एक बड़ा पार्क को विकसित किया जायेगा। वहीं अधिकारियों ने कहा कि शीघ्र ही महाराणा प्रताप पार्क में सौन्द्रीयकरण का काम शुरू हो जाएगा। विधायक ने बताया कि महाराणा प्रताप पार्क में डीडीए और स्थानीय आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर 5,अगस्त को एक मेघा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। इस मौके पर सचिन चौहान,विमल शर्मा, पूजा शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

पेड़ों के प्रतिरोपण से जुड़े डीएफसी के आदेश को कोर्ट ने किया रद्द

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उप वन संरक्षक (डीएफसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से बरसात के पानी को बाहर निकालने के लिए द्वारका सेक्टर-8 में नाले के निर्माण के मकसद से 600 से अधिक वृक्षों के प्रतिरोपण संबंधी अनुमति को स्थगित रखे जाने की बात कही गई थी। जस्टिस नजमी वजीरी ने डीडीए द्वारा 637 पेड़ों के प्रतिरोपण और 56 अन्य की कटाई की अनुमति की मांग को स्वीकार कर लिया और डीएफसी को अपनी परियोजना के लिए डीडीए द्वारा पेड़ों की कटाई या प्रतिरोपण की निगरानी करने के लिए कहा। स्थायी वकील प्रभसहाय कौर ने डीडीए का पक्ष रखते हुए कहा कि 88.56 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के लिए दिल्ली सरकार के उप वन संरक्षक (पश्चिम वन प्रभाग) से 637 पेड़ों के प्रतिरोपण और 56 अन्य की कटाई के लिए अनुमति की आवश्यकता है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- अमर उजाला DATED- रविवार, 31 जुलाई 2022

इमारतों से पानी के छिड़काव का विकल्प तलाशेंगे अधिकारी

अमर उजाला ब्यूरो

उपराज्यपाल ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

नई दिल्ली। राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत ऊंची इमारतों से स्प्रिंकलर लगाने के साथ सड़कों से धूल हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही उन्होंने लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर जोर दिया है। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष एमएम कुट्टी, पर्यावरण विभाग के मुख्य सचिव, एनडीएमसी, एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी और परिवहन के सचिव और यातायात विशेष आयुक्त समेत अन्य अधिकारी शामिल रहे। उपराज्यपाल ने वाहनों के उत्सर्जन, सड़क और मलबे का धूल प्रबंधन, ठोस कचरा और कृषि अपशिष्ट को जलाने और औद्योगिक उत्सर्जन के संबंध में वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय पर जोर दिया।

उन्होंने फूलों और फल देने वाली किस्मों के बड़े पैमाने पर पौधरोपण कर शहर में वन और हरित आवरण को एक साथ और वैज्ञानिक रूप से बढ़ाने के महत्व को भी रेखांकित किया। प्रदूषण के लिए जिम्मेदार तत्व पीएम 2.5 का 26 फीसदी हिस्सा सड़कों से उड़ने वाली धूल से होने पर उन्होंने समस्या का हल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बैठक में उपराज्यपाल को यह जानकारी दी गई कि धूल के लिए जिम्मेदार सड़कों में से 165 किलोमीटर हिस्सा पीडब्ल्यूडी और 59.7 किलोमीटर हिस्सा एमसीडी का है। सक्सेना ने इस संबंध में संबंधित एजेंसियों द्वारा ठोस समयबद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा।

DELHI THE HINDU
SUNDAY, JULY 31, 2022

MPD - 2041 notification could take more time

Will set guidelines for city's growth over next two decades

MUNEEF KHAN
NEW DELHI

The process of notifying the draft Master Plan for Delhi (MPD) - 2041 could take more time as the draft is yet to be approved by the Authority, with a scheduled meeting on the issue likely to take place only after a month, said multiple sources at the Delhi Development Authority (DDA).

DDA headquarters ▪FILE PHOTO

In late February, the DDA's vice-chairman Manish Gupta told *The Hindu* that the process of notifying the draft MPD - 2041 will "take six more months", adding that the urban body was in the process of examining 33,000 suggestions and objections raised by the public, during the board of enquiry hearings that were held last year.

"These suggestions have now been successfully incorporated. A final reading of the draft is currently underway," said a senior DDA official.

L-G briefed

The official added that a presentation of the draft was held for Lieutenant-Governor V.K. Saxena, who is also DDA's Chairperson.

Serving as a vision document for the city's growth over the next two decades, the MPD-2041 has earmarked a number of objectives that include minimising vehicular pollution, providing affordable housing and making Delhi a '24*7 city' with an active night-time economy.

The draft MPD-2041 was first approved by the Authority in April 2021, after which it was uploaded to the public domain in June, 2021, for public suggestions and objections.

"Once the Authority approves the draft MPD, it will be sent to the Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) for the final approval," said another senior authority official. The official added, "The MoHUA might also offer some suggestions. Until the draft is approved and sent to the Ministry, it will be difficult to give a specific timeline."